



RAJASTHAN TECHNICAL UNIVERSITY, KOTA

Rawatbhata Road, Akelgarh, Kota- 324 010

Phone- 0744-2473913, Fax- 0744-2473002

No. RTU/F (6)/Estate/BAC/2016-17/ 143-5A

Date: 27-4-2016

Office Order

Fresh applications are invited for allotment of following quarters in the campus.

Type of Qtr. No.B-3, B-8, C-2, C-6, C-13, D-9, V-30, V-32, IV-3, IV-4 Quarters are vacant/likely to be vacated before allotment.

Those who had applied earlier should also apply again. If any employee refuses or fails to occupy a quarter within stipulated time period he/she will be treated as debarred and he/she will not be eligible to apply again for next twelve months for that particular type of quarter. Application in prescribe Performa should reach to this office latest by 21.05.2016 (Up to 4:00 PM)

Sel
Estate Officer

Copy to: the

1. Director to HVC Office
2. Registrar
3. Comptroller
4. Advisor Estate
5. Dean F.A.
6. COE, RTU
7. Dean Acad. Affairs
8. Web Master RTU-For display at website of rtu.

Estate *S* Officer

APPLICATION FORM

To

THE ESTATE OFFICER
RAJASTHAN TECHNICAL UNIVERSITY
KOTA

Sub: - Application for allotment oftype quarter.

Ref: - Office Order No.Dated

Please consider my application for allotment oftype quarter. My particulars are as under:-

1. Name:
2. Designation:
3. Department:
4. Date of Birth:
5. Date of Joining:
6. Pay Scale & basic Pay:
7. Particulars regarding occupation of quarter in campus.
(a) Details of present occupation(b) Quarter No.....
Details of previous occupation if any:-
(b) Date of occupation(b) Quarter No.....
8. Eligibility date on which the applicant became eligible for the type of quarter which he is applying for

Date.....

1. राजकीय नियमानुसार आवास का कब्जा आवंटन तिथि से 8 दिवस में लिया जावेगा। इस अवधि में आवास का कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. आवास आवंटन कब्जा तिथि से आवंटित आवास का किराया कटौती प्रारंभ मानी जावेगी (यदि आवंटन स्वतः निरस्त नहीं हुआ हो तो)
3. आवास में किसी भी प्रकार की कमी यथा मरम्मत इत्यादि के कारण आवास का कब्जा **Extend** नहीं किया जावेगा आवास जैसे है उसी स्थिति में कब्जा लेना होगा।
4. किसी भी आवास में रिपेयर कार्य सामान्यतः निविदा के माध्यम से करवाए जाते हैं। यदि किसी मरम्मत कार्य का कान्ट्रैक्ट उपलब्ध नहीं है तो वह कार्य कान्ट्रैक्ट उपलब्ध होने पर ही करवाया जावेगा। अतः आवेदनकर्ता किसी भी आवास हेतु आवंटन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि आवास यथास्थिति में ही आपको स्वीकार्य होगा।
5. भवन पर किसी प्रकार के रंग-रोगन एवं अन्य मरम्मत कार्य करवाने से पूर्व संपदा विभाग की अनुमति आवश्यक होगी।
6. अन्य नियम राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियम आवंटियों को पालन करने होंगे। भवन की संख्या Tentative है। यदि आवास आवंटन समिति की बैठक से पूर्व अन्य आवास भी आवंटन हेतु उपलब्ध होते हैं तो वे भी आवंटन हेतु शामिल किये जा सकते हैं।

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता

